रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 22 सितम्बर, 2003/31 भाद्रपद, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 सितम्बर, 2003

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6) 18/2003-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20-9-2003 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक 16) को वर्ष 2003 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

2003 का अधिनियम संख्यांक 17

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2003

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 20 सितम्बर, 2003 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2003 है ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) अध्यक्ष प्रतिमास पन्द्रह हजार रुपए की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर, भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।

1971 का 8

(1-क) अध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रुपए की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।" ।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) उपाध्यक्ष प्रतिमास ग्यारह हजार रुपए की दर से वेतन और अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर, भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।

1971 का 8

(1-क) उपाध्यक्ष प्रतिमास पांच हजार रुपए की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।" ।

धारा 4-क का लोप ।

4. मूल अधिनियम की धारा-4-क का लोप किया जाएगा ।

धारा 8 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) में विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, जो इस उप-धारा के अधीन टेलीफोन स्थापित करता है, सात हजार रुपए प्रतिमास टेलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा ।"।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ACT No. 17 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) ACT, 2003

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 20TH SEP., 2003)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (*Act No.* 4 *of* 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2003.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (hereinafter called the "principal Act"), for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) The Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of fifteen thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rate as specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

4 of 1971

(1-A) The Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.".

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) The Deputy Speaker shall be entitled to receive a salary at the rate of eleven thousand rupees per mensem and an allowance for each day during the whole of his term at the same rate as specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

4 of 1971

(1-A) The Deputy Speaker shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.".

Omission of section 4-A.

4. Section 4-A of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 8.

5. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), for the existing first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, who installs a telephone under this sub-section shall be paid a telephone allowance at the rate of seven thousand rupees per mensem.".

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित